



मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 20/22/2018/चयन

इन्दौर दिनांक 23 जुलाई, 2018

चयन – सूची

पदनाम – व्याख्याता, दृष्टिबाधितार्थ

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 02/2017 दिनांक 02/03/2017 के अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत व्याख्याता, दृष्टिबाधितार्थ के निम्नांकित तालिका में दर्शित पद विज्ञापित किये गये थे। उक्त पदों की पूर्ति के लिए अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार 18 जुलाई, 2018 को आयोजित किये जाने के परिणामस्वरूप आवेदकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार चयन सूची घोषित की जाती है :-

1 व्याख्याता, दृष्टि बाधितार्थ

	अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	योग
कुल पदों की संख्या	6	2	2	1	11
इनमें से महिलाओं के लिये आरक्षित पद	2	1	1	0	

मुख्य सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	Seat	श्रेणी
1	246	SHIVSHANKAR KAPOOR	M	OBC	दृष्टिबाधित OBC
2	241	MAHEEP YADAV	M	UNR	OBC
3	210	SONAL DUBEY	M	UNR	दृष्टिबाधित GEN
4	203	DIWAKAR TIWARI	M	UNR	GEN
5	254	ANURADHA MALVIYA	F	प्रावधिक UNRF	OBC
6	267	NEETA KUCHERIYA	F	प्रावधिक SCF	SC
7	218	RAKHI PHADNIS	F	प्रावधिक UNRF	GEN
8	227	AMRITA KANHERE	F	UNR	GEN

अनुपूरक सूची

स.क्र.	अनुक्रमांक	नाम	लिंग	श्रेणी
1	240	SURESH KUMAR BATHREE	M	दृष्टिबाधित OBC
2	204	PRIYANKA KHARBIKAR	F	दृष्टिबाधित GEN
3	207	SUNITA MALVIYA	F	प्रावधिक दृष्टिबाधित GEN
4	252	KOMAL SINGH BAGHEL	M	दृष्टिबाधित OBC
5	212	ANAND SHRIVASTAVA	M	GEN

23/7/18

टीप :-

1. म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-46/99/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 07 नवम्बर, 2000 में दिये निर्देशों के तहत अनारक्षित (ओपन) पदों पर चयन हेतु निर्धारित मापदंड के तहत आरक्षित वर्ग के वे ही आवेदक ऐसे ओपन पदों पर चयनित किये गये हैं जो कि "हर प्रकार से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के समान ही बिना किसी रियायत के योग्यता प्राप्त किये हो" जिसके तहत किसी प्रकार की रियायत को प्राप्त किये बिना तथा मेरिट में आने पर ही आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का चयन मेरिट गुणानुक्रम के आधार पर अनारक्षित पदों पर किया गया है ।
2. महिलाओं/निःशक्तजनों के आरक्षित पदों पर चयन की प्रक्रिया मप00 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार संपादित की गई है ।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि आयोग के संज्ञान में आती है तो आयोग के पास चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
4. यह चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर (डी.बी.) के समक्ष लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 15911/2018 (पी.आई.एल.) के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा ।
5. कुल विज्ञापित 11 पदों में से कुल 03 पद (अनुसूचित जाति - 01, अनुसूचित जनजाति - 02) योग्य आवेदक उपलब्ध न होने के कारण पद रिक्त रहे हैं ।

30-8-18
23/7/18


(रेनु पन्त)

सचिव

म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इन्दौर